

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड
मध्यप्रदेश
पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1003 / 2009
संस्थापित दिनांक 23.12.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. आशाराम जाट पुत्र रामनाथ जाटव उम्र—38
साल निवासी रतवाई थाना बिजौली जिला
ग्वालियर म0प्र0

..... अभियुक्त

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 27/6/2014 को घोषित किया)

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 279,338, एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अपराध के आरोप हैं कि दिनांक 14/12/09 को समय 12:30 बजे स्थान ग्राम चक बरथरा पर वाहन टैक्टर क्रमांक एम.पी.30एम.2502 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया व वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादिया मंजूबाई को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की व टैक्टर क्रमांक एम.पी.30एम.2502 को बिना बीमा के चलाया ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी का आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादिया मंजूबाई ने पुलिस थाना गोहद में मय अपने चचेरे भाई रामजीलाल बघेल के साथ दिनांक 14/12/09 के 12:30 बजे उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि वह दिन की बात है अपने गोडा से अपने घर जा रही थी तभी एचाया तरफ से टैक्टर क्रमांक एम.पी.30एम.2502 के चालक टैक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और उसके टक्कर मार दी जिससे वह गिर गई और टैक्टर का पहिया उसके पैरो के

उपर चढ़ गया जिससे उसे चोट आई टैक्टर चालक टैक्टर को भगाकर गोहद तरफ ले गया मौके पर रामजीलाल, प्रदीप, श्रीकृष्ण, थे जिन्होंने घटना देखी।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 299/09 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आहत का मेडीकल कराया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 279, 338, एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोपो की विवेचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा।

6. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 338 में दोषमुक्त किया गया जाकर आरोपी को भा.द.वि.की धारा 279 एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत विचारण जारी है।

7. प्रकरण में निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न यह हैकि :-

1. क्या आरोपी ने टैक्टर क्रमांक एम.पी.30एम02502 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी ने टैक्टर क्रमांक एम.पी.30.एम.2502 को बिना बीमा के चलाया ?

सकारण निष्कर्ष

8. श्रीमती मंजू आ0सा01 के द्वारा प्रकरण मे प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना हैकि आज से लगभग 04,05 साल पहले वह अपने गौडा से घर बाहर जा रही थी एचाया तरफ से एक अज्ञात वाहन ने आकर टक्कर मार दी जिससे वह गिर गई टैक्टर को कौनचला हरागि कैसे चला रहा था उसे पता नही टैक्टर वाला टैक्टर को लेकर भाग गया उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद की थी जो प्र0पी01 की है जिस पर उसका निशानी अंगूठा लगा है। साक्षी के द्वारा वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने के संबंध मे न्यायालीन अभिलेख पर कथन न दिये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया

हैकि आरोपी ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया था।

9. प्रकरण में फरियादी एवं आरोपी के मध्य हुये आपसी राजीनामा से यह विदित होता हैकि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है जिससे घटित घटना प्रमाणित नहीं होती है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।

10. मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर था अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी श्रीमती मंजू आ0सा01 ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने की घटना का लेसमात्र समर्थन नहीं किया है जबकि उक्त साक्षी के साथ दुर्घटना होकर साक्षी घटना का अतिमहत्वपूर्ण साक्षी है लेकिन उसके द्वारा ही घटना का समर्थन न किये जाने के कारण घटित दुर्घटना को प्रमाणित नहीं कराया जा सका।

11. प्रकरण में के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 279 एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अपराध पूर्णतःअप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है अतःआरोपीगण को भा.द. वि.की धारा 279 एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किया जाता है।

12. प्रकरण मे जप्पशुदा टैक्टर क्रमांक एम.पी.30एम.2502 पूर्व से प्रार्थी अजमेर सिंह की सुर्पुदगी में है अतः सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात स्वमेव निरस्त माना जावे।

13. प्रकरण मे धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

14. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपीगण माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव
दिनांकित कर घोषित किया गया
एस0डी0/-
जे0एम0एफ0सी0गोहद

मेरे निर्देश पर टाईप किया
एस0डी0/-
जे0एम0एफ0सी0गोहद

4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1003 / 2009